

विद्युत उत्पादन निगम का कार्यक्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 19 जुलाई, 2000 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किया गया। राज्य में ऊर्जा उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्पादन निगम प्रदेश के चहुँमुखी तीव्र विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्तमान (31.12.2017 को) में निगम (अनुषंगी कम्पनी सहित) के विभिन्न तापीय एवं पन बिजलीघरों की बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 5957.35 मेगावाट है जिसका विवरण निम्नानुसार है : -

क्र. सं.	विद्युतगृह का नाम	अधिष्ठापित क्षमता
1.	सूरतगढ सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन	1500 मेगावाट
2.	कोटा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन	1240 मेगावाट
3.	छबडा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन	1000 मेगावाट
4.	कालीसिंध थर्मल पॉवर स्टेशन	1200 मेगावाट
5.	धौलपुर गैस थर्मल पॉवर स्टेशन	330 मेगावाट
6.	रामगढ गैस थर्मल पॉवर स्टेशन	273.5 मेगावाट
7.	माही जल विद्युतगृह-प्रथम एवं द्वितीय	140 मेगावाट
8.	लघु जल विद्युतगृह (10)	23.85 मेगावाट
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी		
9.	गिरल लिम्नाइट पॉवर लिमिटेड	250 मेगावाट
कुल		5957.35 मेगावाट

उपरोक्त के साथ ही अन्तरराज्यीय साझेदारी परियोजनान्तर्गत राणा प्रताप सागर (172 मेगावाट) तथा जवाहर सागर पन बिजलीघर (99 मेगावाट) का परिचालन एवं संधारण भी उत्पादन निगम द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्र अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए देशभर में ख्यातनाम रहे हैं। राजस्थान का गौरव कहलाने वाले कोटा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन देश में श्रेष्ठतम कार्य निष्पादन करने वाले ताप बिजलीघरों की पंक्ति में अग्रणी स्थान पर रहता है। उत्पादन निगम के कोटा तापीय विद्युतगृह को वर्ष 2015-16 के लिए ऊर्जा संरक्षण एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2016 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

निगम द्वारा वर्ष 2015 में कालीसिंध थर्मल पॉवर स्टेशन की द्वितीय इकाई से दिनांक 25.07.15 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाकर राज्य क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में 600 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि की गई। राज्य क्षेत्र में निगम द्वारा प्रथम सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित परियोजना की छबड़ा इकाई- 5 को दिनांक 04.04.2017 को कमीशन किया जा चुका है। इस इकाई से शीघ्र ही वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाना संभावित है।

विद्युत उत्पादन निगम की वित्तीय स्थिति

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना G.S.R 111 (E) दिनांक 16 फरवरी, 2015 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण 2016-17 कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विहित भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) की पालना करते हुये तैयार किये हैं। भारतीय लेखा मानकों की पालनार्थ कम्पनी के विगत तीन वर्षों के तुलन-पत्रों को भी तदनुसार समायोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 (अंकेक्षित), वर्ष 2015-16 (अंकेक्षित) तथा वर्ष 2016-17 (अंकेक्षित) के लेखों के आधार पर उत्पादन निगम की सम्पति और दायित्वों की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है-

(करोड़ रुपये)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को (अंकेक्षित)	31 मार्च, 2016 को (अंकेक्षित)	31 मार्च, 2017 को (अंकेक्षित)	2017-18 (सितम्बर, 2017 तक) (अनअंकेक्षित)
(अ) आस्तियां				
I गैर-चालू आस्तियां				
1. आस्तियां संयंत्र और उपकरण	16017.95	18973.22	18053.41	17509.72
2. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	7942.14	8915.62	13652.67	15012.62
3. अमूर्त आस्तियां	-	153.03	150.88	150.63
4. वित्तीय आस्तियां				
(i) निवेश	185.20	370.15	370.15	370.15
(ii) अन्य	190.72	171.70	161.52	159.88

(करोड़ रुपये)

5. आस्थिगत कर आस्तियां (शुद्ध)	-	-	-	-
6. अन्य गैर-चालू आस्तियां	1332.93	992.74	562.96	618.03
कुल गैर-चालू आस्तियां	25668.93	29576.47	32951.59	33821.03
II चालू आस्तियां				
1. सामग्री-सूची	1019.90	820.83	893.08	311.86
2. वित्तीय आस्तियां				
(i) व्यापारिक प्राप्त्य	2983.54	5678.24	11000.95	11692.72
(ii) नकद एवं नकद तुल्यमान	82.60	103.39	68.32	158.25
(iii) बैंक के अलावा अन्य शेष राशि	19.61	77.11	74.48	
(iv) ऋण	3.62	3.63	3.55	3.56
(v) अन्य	745.99	792.49	1068.97	1038.15
3. अन्य चालू आस्तियां	250.07	312.55	226.84	457.68
कुल चालू आस्तियां	5105.33	7788.24	13336.19	13662.22
कुल आस्तियां	30774.26	37364.71	46287.78	47483.25
(ब) साम्या एवं दायित्व				
(I) साम्या				
1. साम्या अंश पूंजी	7288.59	8731.09	9358.82	9540.67
2. अन्य साम्या	(3639.38)	(5189.34)	(4792.80)	(4424.58)
कुल साम्या	3649.21	3541.75	4566.02	5116.09
(II) दायित्व				
1. गैर-चालू दायित्व				

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

(करोड़ रुपये)

(i) वित्तीय दायित्व				
- उधार/ऋण	20136.02	24397.91	32682.97	33592.86
- अन्य वित्तीय दायित्व	393.86	816.02	164.90	159.94
(ii) प्रावधान	-	86.47	100.80	124.22
कुल गैर चालू दायित्व	20529.88	25300.40	32948.66	33877.02
2. चालू दायित्व				
(i) वित्तीय दायित्व				
- उधार/ऋण	741.33	771.40	500.00	1264.78
- व्यापारिक देयतायें	1487.18	1759.00	1996.47	1103.50
- अन्य वित्तीय दायित्व	3459.30	5016.49	5367.49	5168.60
(ii) अन्य चालू दायित्व	32.25	34.51	18.24	8.07
(iii) प्रावधान	205.39	275.83	243.96	298.25
कुल चालू दायित्व	5925.46	7857.24	8126.16	7843.20
आस्थगित राजस्व- मूल्य ह्रास के विरुद्ध प्राप्य अग्रिम	669.71	665.32	646.94	646.94
कुल साम्या एवं दायित्व	30774.26	37364.71	46287.78	47483.25

उत्पादन निगम का लाभ/हानि विवरण

भारतीय लेखा मानकों की पालनार्थ कम्पनी के विगत वर्ष के राजस्व, व्यय एवं लाभ-हानि को समायोजित किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 (अंकेक्षित) तथा वर्ष 2016-17 (अंकेक्षित) के लेखों के आधार पर उत्पादन निगम की लाभ/हानि का विवरण निम्न प्रकार है-

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

(करोड़ रुपये)

विवरण	2015-16 (अंकेक्षित)	2016-17 (अंकेक्षित)	2017-18 (सितम्बर, 2017 तक) (अनअंकेक्षित)
राजस्व			
संचालन से राजस्व	9962.06	11760.03	5633.49
अन्य आय	44.97	56.07	33.40
कुल राजस्व	10007.03	11816.09	5666.89
व्यय			
ऊर्जा उत्पादन एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय	7522.97	7126.43	2982.46
मरम्मत एवं अनुरक्षण	258.64	261.04	93.20
कर्मचारी हित व्यय	359.78	272.08	159.16
वित्त लागतें	1987.65	2453.70	1318.66
हास एवं परिशोधन व्यय	1077.34	1149.01	580.05
अन्य व्यय	76.33	109.52	65.17
कुल व्यय	11282.71	11371.77	5198.70
कर व अपवादात्मक मदों के पूर्व लाभ/(हानि)	(1275.68)	444.32	468.19
- अपवादात्मक मदें :	94.79		
हानि के लिए प्रावधान	(66.21)	(92.52)	(52.85)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1247.10)	351.80	415.35
कर व्यय			
- चालू कर			
- आस्थिगत कर			
सतत् परिचालन से अवधि के लिए लाभ (हानि)	(1247.10)	351.80	415.35
अवधि के लिए लाभ/हानि	(1247.10)	351.80	415.35

अन्य व्यापक आय			
ए 1. मर्दे जो कि लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	(51.02)	(67.37)	(37.34)
2. उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गी.त नहीं किया जाएगा			
बी 1. मर्दे जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
2. उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गी.त किया जाएगा			
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें लाभ/ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)	(1298.12)	284.43	378.01
अर्जन प्रति साम्या अंश (सतत् संचालन के लिए)			
(1) मूल	(1.61)	0.40	0.44
(2) मन्दित	(1.61)	0.40	0.44

हानि एवं अनुदान :

राजस्थान ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा उत्पादित विद्युत का विक्रय राजस्थान राज्य के तीनों वितरण निगमों को दिनांक 31.03.08 तक बिना लाभ-हानि के किया जा रहा था। बिना लाभ-हानि प्रणाली का अनुसरण संशोधित वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार मार्च, 2008 तक किया जाना निर्धारित था। तत्पश्चात वास्तविक लेखा आधारों पर किया जा रहा है। निगम का घाटा अंकेक्षित लेखों के अनुसार 31.03.2016 तक 5263.30 करोड़ रुपये था जो कि मार्च 2017 तक घटकर 4978.87 करोड़ रुपये रह गया है। वित्तीय वर्षवार लाभ/हानि का विवरण इस प्रकार है -

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

वित्तीय वर्ष	मार्च 2015 तक	2015-16	2016-17	2017-18 (सितम्बर 2017 तक)
(+)लाभ/(-)हानि	(-) 3965.18	(-) 1298.12	(+) 284.43	(+) 378.01

ऊर्जा दर :

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 2009 एवं 2014 के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को अपने विद्युतगृहों द्वारा विक्रय की गई विद्युत की दरों को विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित करवाना होता है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा उत्पादित विद्युत का विक्रय राजस्थान राज्य के तीनों वितरण निगमों को दिनांक 31.03.08 तक बिना लाभ-हानि के किया जा रहा था। बिना लाभ-हानि प्रणाली का अनुसरण संशोधित वित्तीय पुर्नसंरचना योजना के अनुसार मार्च 2008 तक किया जाना निर्धारित था। तत्पश्चात वास्तविक लेखा आधारों पर किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2015-16 (अंकेक्षित), वर्ष 2016-17 (अंकेक्षित), एवं वर्ष 2017-18 (अनुमानित) में विद्युत उत्पादन निगम द्वारा विद्युत वितरण निगमों को प्रेषित विद्युत ऊर्जा की दर निम्न प्रकार हैं -

विवरण	2015-16 (अंकेक्षित)	2016-17 (अंकेक्षित)	2017-18 (अनुमानित)
प्रेषित ऊर्जा की दर (पैसे/यूनिट)	375	399	403

ऊर्जा मंत्रालय के शुल्क निर्धारण दिशा निर्देशों के अनुसार विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अपने वर्तमान विद्युतगृहों की ऊर्जा दरों के निर्धारण हेतु विनियामक आयोग के समक्ष वर्ष 2018-19 के लिए शुल्क याचिका प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 2017-18 के लिए विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न विद्युतगृहों की ऊर्जा विक्रय दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गईं।

क्र.सं.	विवरण	केएसटीपीएस	एसएसटीपीएस	आरजीटीपीएस	आरजीटीपीएस	माही	एमएमएच
1.	क्षमता (मे.वा.)	1240	1500	110.5	160	140	23.85
2.	स्थिर मूल्य (रूपये/यूनिट)	0.61	0.855	0.639	1.459	3.362	3.78
3.	परिवर्तनीय मूल्य (रूपये/यूनिट)	3.024	3.807	1.841	3.074		

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

क्र.सं.	विवरण	छबड़ा इकाई 1 एवं 2	छबड़ा इकाई 3 व 4		गिरल इकाई-1	गिरल इकाई-2	धौलपुर टीपीएस	कालीसिंध टीपीएस इकाई 1 व 2	
1.	क्षमता (मे.वा.)	500	250	250	125	125	330	600	600
2.	स्थिर मूल्य (रूपये/यूनिट)	1.492	1.80	1.576	1.985	1.985	0.905	2.063	1.866
3.	परिवर्तनीय मूल्य (रूपये/यूनिट)	2.380	2.31	2.314	1.452	1.452	3.428	2.258	2.55

स्रोतवार विद्युत उत्पादन एवं प्रेषण

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के स्वामित्व वाले तापीय एवं पन विद्युतगृहों से कुल ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2016-17 में 26500.73 मिलियन यूनिट रहा। इसी प्रकार इन विद्युतगृहों से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगमों को कुल ऊर्जा प्रेषण वर्ष 2016-17 में 23997.03 मिलियन यूनिट रहा।

स्रोतवार ऊर्जा उत्पादन/ प्रेषण की स्थिति वर्षवार निम्नानुसार है :

ऊर्जा (मिलियन यूनिट)

क्र. सं.	विवरण	ऊर्जा उत्पादन			ऊर्जा प्रेषण		
		2015-16	2016-17	2017-18 (31 दिस. 2017 तक)	2015-16	2016-17	2017-18 (31 दिस. 2017 तक)
(क)	तापीय विद्युत गृह						
	1. कोटा तापीय विद्युत गृह इकाई 1-7 (1240 MW)	7769.54	7486.91	4992.94	6962.32	6628.79	4430.82
	2. सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह इकाई 1-6 (1500 MW)	5902.98	4474.71	3140.09	5275.55	4023.28	2803.70
	3. छबड़ा तापीय विद्युत गृह इकाई 1-4 (1000 MW)	4473.89	6825.04	4494.93	3991.51	6133.79	4037.22

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

(ख)	4. कालीसिन्ध तापीय वि.गृह इकाई 1-2 (1200 MW)	5921.20	5944.12	4364.88	5508.76	5531.33	4062.59
	5. धौलपुर गैस तापीय विद्युत गृह (330 MW)	330.03	124.85	247.72	282.70	94.86	219.11
	6. रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह (273.5 MW)	1522.57	1426.75	1115.59	1459.40	1367.92	1067.10
	7. गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड इकाई- 1 व 2 (250MW)	239.32	0	0	185.50	0	0
	उप योग (क)	26159.53	26282.38	18356.15	23665.74	23779.97	16620.54
	पन विद्युतगृह						
	1. माही पन विद्युत गृह (140 MW)	168.39	209.66	111.99	167.33	208.55	111.10
	2. अन्य लघु पन विद्युतगृह (23.85 MW)	6.74	8.69	6.03	6.56	8.51	5.90
	उप योग (ख)	175.13	218.35	118.02	173.89	217.06	117.00
	सकल योग (क+ख)	26334.66	26500.73	18474.17	23839.63	23997.03	16737.54

विद्युत उत्पादन निगम के कार्यरत संयंत्रों का कार्य निष्पादन

(क) कोटा सुपर तापीय विद्युतगृह (1240 मेगावाट)

कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह ने अपने श्रमिकों, कर्मचारियों, अभियन्ताओं और अधिकारियों की लगन, कठिन प्रश्रम एवं उत्साह के परिणामस्वरूप आरम्भ से ही उत्कृष्ट श्रेणी की उपलब्धियाँ अनेक बार अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर नकद पुरस्कार एवं शील्ड्स अर्जित की है। कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले सराहनीय कार्य निष्पादन पुरस्कार वर्ष 1984, 1987, 1989, 1991 तथा वर्ष 1992-93 से वर्ष 1999 तक निरन्तर प्राप्त किये हैं। वर्ष 2000-04 के चार वर्षों के उत्कृष्ट निष्पादन के लिये इस तापीय विद्युत गृह को भारत सरकार द्वारा गोल्ड शील्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है।

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

इस विद्युत गृह से पिछले पाँच वर्षों में उत्पादित विद्युत की मात्रा निम्न प्रकार रही है :-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	पी. एल. एफ. (प्रतिशत में)
2013-14	9451.15	87.01
2014-15	8905.21	81.98
2015-16	7769.54	71.33
2016-17	7486.91	68.93
2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	4992.94	61.01

वर्ष 2017 में कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह में कुल 6572.212 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ तथा पी.एल.एफ. 60.50 रहा। उपरोक्त वर्षों के दौरान विद्युत भार प्रेषण (LD) केन्द्र द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता मांग की तुलना में अधिक होने के कारण कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह को कम क्षमता पर चलाने अथवा बन्द करने के कारण वर्ष 2016 एवं 2017 में क्रमशः 1826.631 एवं 3692.639 मिलियन यूनिट का उत्पादन कम हो पाया है जो कि कुल विद्युत उत्पादन का क्रमशः 16.77 एवं 33.99 प्रतिशत है। जबकि कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह की उपलब्धता वर्ष 2016 में 90.82 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017 में बढ़कर 94.50 प्रतिशत रही।

इसके अतिरिक्त जहां वर्ष 2017 में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में तेल की खपत में अप्रत्याशित कमी करते हुए वर्तमान वर्ष 2017 में तेल की खपत 0.605 मी.ली. प्रति यूनिट रह गयी है। साथ ही प्लांट में कार्यरत अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों की लगन, मेहनत एवं अथक प्रयासों से परियोजना में इस वर्ष Tripping में उल्लेखनीय कमी हुई है पिछले वर्ष 2016 में 71 Tripping की तुलना में इस वर्ष 52 Tripping रहीं। इसी प्रकार वार्षिक रखरखाव के समय को भी कम किया गया जिससे रख रखाव के दौरान होने वाली उत्पादन की कमी को कम करने में सफलता अर्जित की है। वर्ष 2016 में 651.270 MU की कमी को कम करते हुए इस वर्ष 2017 में यह 180.811 MU रही है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु सजगता दिखाते हुए कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह में थर्मल कॉलोनी एवं सयंत्र के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत हरित क्षेत्र बना दिया गया है। इस विद्युत गृह से निकलने वाली सूखी राख का शत-प्रतिशत उपयोग सीमेन्ट फैक्ट्री तथा ईंटे बनाने के उद्योग व अन्य कार्यों में किया गया। विद्युत गृह से

निकलने वाली राख के संग्रह करने के लिये विभिन्न इकाइयों पर साइलो की स्थापना की जा चुकी है। इससे सूखी राख का निस्तारण सुगमता से किया जा रहा है।

(ख) सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युतगृह (1500 मेगावाट)

सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युतगृह में कुल 1500 मेगावाट क्षमता की छः इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट) संचालित है। इस विद्युतगृह के द्वारा विगत पाँच वर्षों में उत्पादित विद्युत की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार हैं-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	पी. एल. एफ. (प्रतिशत में)
2013-14	9409.02	71.61
2014-15	10097.26	76.84
2015-16	5902.98	44.00
2016-17	4474.71	34.05
2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	3140.09	31.72

सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युतगृह में वर्ष 2016-17 में कुल 4474.71 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन रहा तथा पीएलएफ 34.05 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017-18 में कुल 8492 मिलियन युनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य अनुमानित है। उपरोक्त वर्षों के दौरान विद्युत भार प्रेषण (LD) केन्द्र द्वारा विद्युत गृह की इकाइयों को विद्युत ऊर्जा की मांग की कमी के कारण कम क्षमता पर चलाने अथवा बन्द करने के कारण 2016-17 एवं 2017-18 (दिसम्बर-2017 तक) क्रमशः 6853.65 एवं 5645.25 मिलियन युनिट का उत्पादन कम हो पाया है जो कि कुल विद्युत उत्पादन का क्रमशः 52.16 एवं 57.02 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त जहाँ वर्ष 2016-17 में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में कोयले की खपत 0.606 किलोग्राम प्रति यूनिट रही थी एवम् इस वित्तीय वर्ष में भी इसी अनुपात को लगभग बरकरार रखते हुए वर्तमान में वर्ष 2017-18 में 31 दिसंबर 2017 तक कोयले की खपत 0.616 किलोग्राम प्रति यूनिट है। साथ ही प्लांट में कार्यरत अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों की लगन एवम् मेहनत, विशेष रूप से वाणिज्य विभाग के अभियंताओं के अथक प्रयासों से लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी सूरतगढ़ तापीय परियोजना ने उत्पादन निगम की अन्य इकाइयों की तुलना में सर्वाधिक लाभ अर्जित किया। परियोजना की उष्मा दर जो की 2016-17 में प्रति यूनिट 2452 किलो कैलोरी की तुलना में वर्ष 2017-18 में 31 दिसंबर 2017 तक 2432 किलो कैलोरी तक मापी गई है एवं इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक हम इसको इसी अनुपात में बनाए रखने में सफल रहेंगे। वर्ष 2016-17 में विद्युतगृह का उपलब्धता गुणांक 86.67 प्रतिशत

था वही वर्ष 2017-18 में 31-दिसंबर -2017 तक उपलब्धता गुणांक 89.31 है, आशा है, कि वित्तीय वर्ष के अंत तक हम इसको 90 प्रतिशत से अधिक लाने में सफल रहेंगे।

इस वित्तीय वर्ष में इकाई संख्या -5 को 12 जुलाई 2017 से 26 अगस्त 2017 लगभग 45.82 दिन के लिए मुख्य रख-रखाव के लिए बंद की गयी थी जिसके उपरांत टरबाइन (Turbine) विभाग द्वारा दिए गये मानकों के आधार पर डिजाइन उष्मा दर में 69.96 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंटा की कमी आंकलित की गयी है जिससे प्रति वर्ष लगभग 16.90 करोड़ की पूंजीगत बचत होगी। इसके अतिरिक्त बायलर (Boiler) विभाग द्वारा दिए गये मानकों के आधार पर यूनिट के शटडाउन से पूर्व जहा एयर प्रीहीटर (Air Preheater) की गैस साइड दक्षता एवम् एयर लीकेज (Air Leakage) क्रमशः 64.67% एवम् 10.89% थे शटडाउन के उपरांत गैस साइड दक्षता 68.10% हो गयी है एवम् एयर लीकेज 7.54% रह गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जहाँ कुल 8.69 करोड़ की राख सीमेंट कंपनियों को बेच कर राजस्व अर्जित किया गया, वही वर्ष 2017-18 में दिसंबर माह के अंत तक लगभग 5.69 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।

पर्यावरण संरक्षण

- (1) इकाईयों के संचालन के लिए सभी यूनिट की वार्षिक पर्यावरणीय संचालन स्वीकृति (Consent to operate) प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिल चुकी है।
- (2) खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Hazardous waste management rule, 2008) के तहत प्रवाह उपचार संयंत्र (ETP) के द्वारा सफलतापूर्वक खतरनाक रासायनिक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है और जानकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RPCB) की निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रवाह उपचार संयंत्र (ETP) के आने वाले सभी मापदंड राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RPCB) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंदर ही है।
- (3) जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परियोजना में काम आने वाले पानी को पुनः चक्रीकरण किया जा रहा है जिससे पानी के प्रदूषण में कमी के साथ साथ उपयोग में भी कमी की जा रही है।
- (4) इस विद्युतगृह में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पौधे लगाकर 38.63% क्षेत्र को हरित पट्टी में विकसित किया जा चुका है।
- (5) परिवेशी वायु (Ambient Air) की नियमित निगरानी परियोजना परिसर एवम् परियोजना की 20 किलोमीटर परिधि में की जा रही है।
- (6) आमजन की सुविधा के लिए परियोजना के मुख्य द्वार पर विद्युत ग्रह की चिमनियों और वातावरणीय प्रदूषण से रिसने वाली गैसों एवं निकलने वाले जल आदि के परिमाण / मात्रा को आधुनिकतम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

(7) जल एवं वायु प्रदूषण के आकँड़े सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण मंडल के कार्यालय में प्रेषित किए जा रहे हैं।

(8) वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए परियोजना में निरंतर वृक्षारोपण किया जाता रहा है।

स्वच्छता अभियान : माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के तहत कॉलोनी एवं प्लांट परिसर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, जिसके अन्तर्गत कॉलोनी व विद्युतगृह परिसर के सभी सड़कों के किनारों पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स, उद्यानों का रख रखाव एवं सड़कों की मरम्मत के कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) रामगढ़ गैस तापीय विद्युतगृह (273.5 मेगावाट)

इस विद्युतगृह के प्रथम चरण में 35.5 मेगावाट क्षमता की गैस टरबाईन इकाई तथा द्वितीय चरण में 37.5 मेगावाट क्षमता की गैस टरबाईन इकाई व 37.5 मेगावाट क्षमता की स्टीम टरबाईन इकाई स्थापित है। इस विद्युतगृह में 3 मेगावाट क्षमता की एक गैस टरबाईन और स्थापित है जो कि निष्क्रिय है। इस परियोजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत 110 मेगावाट क्षमता की गैस टरबाईन को 20.03.2013 को कमीशन कर 6.12.2013 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है तथा 50 मेगावाट क्षमता की स्टीम टरबाईन को 01.05.2014 को कमीशन कर 07.06.2014 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इसे मिलाकर विद्युतगृह की कुल क्षमता 273.5 मेगावाट है।

इस विद्युतगृह से पिछले पांच वर्षों के विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2013-14	662.02
2014-15	1267.83
2015-16	1522.57
2016-17	1426.75
2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	1115.59

पूर्व में उपलब्ध गैस से केवल एक गैस टरबाईन ही चलाना संभव था लेकिन वर्तमान में गैल द्वारा गैस की आपूर्ति बढ़ाने से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब गैस की पर्याप्त उपलब्धता होने से विद्युतगृह की तीनों इकाइयों से उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में इस विद्युतगृह द्वारा कुल 1426.70 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ।

(घ) धौलपुर कम्बाइन्ड साइकिल तापीय विद्युत गृह

धौलपुर में 330 मेगावाट कम्बाइन्ड साइकिल गैस आधारित विद्युत गृह की तीनों इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन 01.03.2008 से जारी है। पावर प्लान्ट ने राज्य स्तर के गैस आधारित पावर प्लान्टों की राष्ट्रीय सूची में वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान अक्षय उर्जा निगम द्वारा इस गृह को दिनांक 14.12.2014 व 14.12.2015 को उर्जा संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया। इस परियोजना द्वारा डी.एम. (D.M.) वाटर के उपभोग में कमी करते हुए 200 मिलियन टन से घटाकर 120 मिलियन टन किया गया। इस विद्युतगृह से पिछले पांच वर्षों के विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2013-14	976.57
2014-15	878.70
2015-16	330.03
2016-17	124.85
2017-18 (31दिसम्बर 2017 तक)	247.72

वर्ष 12-13 से गैस आपूर्ति में कमी के कारण विद्युत उत्पादन में भी निरंतर कमी आयी है तथा वर्ष 2016-17 में भी गैस आपूर्ति में कमी के कारण इस विद्युतगृह द्वारा 4.32% पी. एल. एफ. अर्जित कर कुल 124.8530 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ।

(ड) छबडा सुपर तापीय विद्युत गृह (1000 मेगावाट)

इस गृह की प्रथम इकाई को दिनांक 30.10.2009 को पूर्ण क्षमता पर कमीशन कर दिया गया था। इस इकाई से 11.6.2010 से वाणिज्यिक उत्पादन जारी है। दूसरी इकाई को 4 मई 2010 को कमीशन किया जाकर 15.10.2011 से वाणिज्यिक उत्पादन जारी है तथा तीसरी इकाई को भी 09.09.2013 को कमीशन किया जाकर 19.12.13 से वाणिज्यिक उत्पादन जारी है। चौथी इकाई को भी 30.06.2014 को कमीशन किया जाकर 30.12.14 से वाणिज्यिक उत्पादन जारी है। इस विद्युतगृह से पिछले पांच वर्षों के विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है -

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	पी.एल.एफ. (%)
2013-14	3158.45	63.27
2014-15	4583.56	64.39
2015-16	4473.89	50.93
2016-17	6825.04	77.91
2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	4494.93	68.11

इस गृह से वर्ष 2016-17 में कुल 6825.04 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ।

(च) कालीसिंध तापीय विद्युत गृह (1200 मेगावाट) -

2x600 मेगावाट कालीसिंध तापीय विद्युत गृह की प्रथम इकाई को 02.05.14 को कमीशन किया जाकर दिनांक 07.05.2014 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। द्वितीय इकाई 600 मेगावाट को दिनांक 06.06.2015 को पूर्ण क्षमता पर कमीशन कर दिया गया था। इस इकाई से 25.07.2015 से वाणिज्यिक उत्पादन जारी है। उक्त परियोजना के लिये पानी की व्यवस्था कालीसिंध बाँध से की गई है। वर्तमान में उक्त परियोजना हेतु पानी इसी बाँध से उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जमा मद की राशि पर किया गया है।

इस विद्युतगृह से विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2014-15	1147.39
2015-16	5921.20
2016-17	5944.12
2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	4364.88

(छ) माही पन विद्युतगृह (140 मेगावाट)

बांसवाड़ा जिले में माही बांध पर एक विद्युतगृह 2x25 मेगावाट का एवम् दूसरा विद्युतगृह 2x45 मेगावाट का बागीदौरा तहसील में स्थापित है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 140 मेगावाट है। इन विद्युतगृहों का उत्पादन नहर में पानी के प्रवाह पर निर्भर करता है। इस विद्युतगृह से पिछले पांच वर्षों का विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार से है :-

प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2013-14	227.08
2014-15	159.69
2015-16	168.39
2016-17	209.66
2017-18	111.99
(31 दिसम्बर 2017 तक)	

(ज) लघु पन विद्युतगृह (23.85 मेगावाट)

राज्य में विभिन्न स्थानों पर कुल 10 लघु पन विद्युतगृह स्थापित हैं जिनकी स्थापित क्षमता 23.85 मेगावाट है। इन विद्युतगृहों का उत्पादन नहर में पानी के प्रवाह पर निर्भर करता है। इन विद्युतगृहों से पिछले पांच वर्षों का विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2013-14	10.42
2014-15	6.95
2015-16	6.74
2016-17	8.69
2017-18	6.03
(31दिसम्बर 2017 तक)	

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी

(झ) गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (250 मेगावाट)

गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड में वर्तमान में 2 x125 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयाँ स्थापित है जिसकी प्रथम इकाई से दिनांक 18.10.2011 द्वितीय इकाई से दिनांक 12.03.2011 से वाणिज्यिक

विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया गया था। परियोजना के लिए ईंधन की आपूर्ति अनुबन्ध गिरल खनन परियोजना से है जिससे निकलने वाली लिग्नाइट में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण दोनों इकाइयों में तकनीकी रूप से विद्युत उत्पादन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हुई है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गिरल लिग्नाइट पॉवर लिमिटेड की 2X125 मेगावाट क्षमता वाली दोनों इकाइयों की परिचालन सम्बन्धी परेशानियों एवं भारी वित्तीय हानि को देखते हुये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल द्वारा गिरल लिग्नाइट पॉवर लिमिटेड का सामरिक बेचान के तहत विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है। गि.लि.पॉ.लि. के सामरिक बेचान हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 में निर्णय लिया गया कि GLPL के विनिवेश हेतु खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा वर्तमान में उपलब्ध फ्यूल लिंकेज के साथ as-is-basis पर विनिवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे। राज्य सरकार के मंत्रीमंडल ने विनिवेश हेतु 14.09.2016 को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस विद्युतगृह से पिछले पांच वर्षों के विद्युत उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2012-13	471.96
2013-14	378.19
2014-15	357.05
2015-16	239.32
2016-17	-
2017-18	-
(31दिसम्बर 2017 तक)	

वर्ष 2015-16 में दोनो इकाइयों से कुल 239.32 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया।

विद्युत उत्पादन निगम की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें

वर्तमान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित राज्य क्षेत्र की दो परियोजनाएँ प्रत्येक 2x660 मेगावाट क्षमता की छबड़ा व सूरतगढ़ का निर्माण त्वरित गति से किया जा रहा है जिनका प्रगति विवरण निम्नानुसार है -

1. 2x660 मेगावाट छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना द्वितीय चरण (इकाई-5 व 6)-

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट क्षमता की इकाई 5 को दिनांक 02.10.2016 को दोपहर 01:03 बजे सफलतापूर्वक सिन्क्रोनाइज कर दिया गया था। गौरतलब है कि उक्त सुपर क्रिटिकल की इकाईयों के लिए निगम द्वारा मैसर्स एल एण्ड टी को दिनांक 28.03.2013 को कार्यदेश दिया गया था। सीमित अवधि (42 माह) के रिकॉर्ड न्यूनतम समय में इस इकाई को सफलतापूर्वक सिन्क्रोनाइज किया जाना एक उपलब्धि है। पूर्ण क्षमता से संचालित होने पर यह इकाई प्रतिदिन 1.584 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित करेगी।

राज्य सरकार द्वारा छबड़ा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में दो सुपरक्रिटिकल इकाईयों हेतु दिनांक 02.03.2009 को स्वीकृति दी गई थी। दोनों इकाईयों के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल 9550.27 करोड़ की संशोधित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। माह दिसम्बर 2017 तक 8002.28 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

दिनांक 25 फरवरी 2017 को इस इकाई में कोयला ईंधन प्रयुक्त किया गया एवं पूर्ण क्षमता 660 मेगावाट दिनांक 04 अप्रैल 2017 को प्राप्त किया गया। शीघ्र ही इस इकाई से नियमित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाना संभावित है। इकाई 6 से वाणिज्यिक उत्पादन माह जून 2018 तक उत्पादन प्रारम्भ किया जाना संभावित है।

2. 2 x 660 मेगावाट सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना (इकाई-7 व 8)-

दिनांक 31.12.17 तक सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल इकाई 7 के मुख्य कार्य जैसे बॉयलर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा इस इकाई का बॉयलर लाईट-अप फरवरी, 2017 को किया जा चुका है और टर्बो जेनरेटर का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है और टरबाइन बारिंग गियर दिनांक 10.11.17 को सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। अब कमिश्निंग संबंधित गतिविधियां चल रही हैं। कुलिंग टॉवर का कार्य साथ साथ किया जा रहा है। इस इकाई से जून, 2018 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

इस परियोजना के निर्माणकार्य हेतु शुरुआती मूल लागत 7920 करोड़ के सापेक्ष में संशोधित परियोजना लागत 9161.35 करोड़ राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है। माह दिसम्बर 2017 तक 7591.22 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

इकाई 8 के मुख्य निर्माण कार्य जैसे बॉयलर का लगभग 93.26 प्रतिशत कार्य, टर्बो जेनरेटर का लगभग 79.86 प्रतिशत, कुलिंग टॉवर का 64.00 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इकाई 8 का हाइड्रोलिक टेस्ट दिनांक 15.03.16 को सफलतापूर्वक किया जा चुका है और बॉयलर लाईट-अप 28.09.2017 को किया जा चुका है। इस इकाई से सितम्बर, 2018 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की संभावना है। दोनो इकाईयों के लिए निर्मित चिमनी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

3. 160 मेगावाट रामगढ गैस विस्तार परियोजना चतुर्थ चरण-

इस परियोजना के लिए 10 क्यूसेक जल का आवंटन जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 02.09.09 को किया जा चुका है। परियोजना हेतु वर्तमान विद्युत गृह परिसर में ही भूमि उपलब्ध है। गैस की आपूर्ति हेतु मैसर्स गेल के साथ हैड आफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित कर लिया गया था। इस परियोजना के लिए मैसर्स डेजिन (M/s Desein Ltd.) को अभियांत्रिकी सलाहकार नियुक्त किया गया है। स्टेट लेवल ऐनवायरमेण्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट ऑथोरिटी (SEIAA, राजस्थान) द्वारा इस परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति 08.11.12 को प्रदान कर दी गई है। मैसर्स बीएचईएल को मुख्य उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यदेश जारी किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान निर्धारित गैस का APM मूल्य 4.24 USD/MMBTU निर्धारित किया गया है। मैसर्स फोकस एनर्जी के द्वारा पूर्व में प्रस्तावित गैस मूल्य 7.15 USD/MMBTU के स्थान पर 5.5 USD/MMBTU का संशोधित प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्तावित गैस मूल्य का अनुमोदन राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम के निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है। अतः गैस मूल्य निर्धारण के पश्चात ही परियोजना निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य

राजस्थान सरकार द्वारा 20.05.2011 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति स्वीकृत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्युतगृहों द्वारा आस पास के गाँवों के लिए जन कल्याणकारी कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

(क) संचालित विद्युतगृहों द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है :-

सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युतगृह

सूरतगढ़ थर्मल में जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 20.06.2011 को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति स्वीकृत की गई। इस योजना के अंतर्गत विद्युतगृह द्वारा आस पास के गाँवों के लिए जन कल्याणकारी कार्य किये जाने प्रस्तावित है एवं इस वर्ष 2017-18 में अनुमानित लागत 75.74 लाख रुपये प्रस्तावित/ निर्धारित है। इस नीति के अंतर्गत विद्युतगृह द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है :-

राविउनि की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत, सूरतगढ़ थर्मल परि.एवं संधा. द्वारा सन 2011-12 से 31.12.2017 तक, सूरतगढ़ थर्मल के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित कुल 18 गाँवों में रायौवाली, प्रभातनगर, फरीदसर, सोमासर, भोजेवाला, तुकराना, ऐटा.करडु, 3/4 एसएमआर, कान्नौर, भोजूसर, कालूसर, गुसाईसर, 85 आरडी बी, रत्तासर, लखुवाली हैड, बीरमाना, बछरारा के राजकीय विद्यालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे के विकास, खेलकूद, पर्यावरण और परिवहन जैसे सामुदायिक विकास कार्यों पर करीबन रु 289 लाख धनराशि व्यय किये जा चुके है।

कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना

कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना के नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य (सी.एस.आर. स्कीम) के तहत कुल रुपये 24.00 करोड़ के कार्य संपादित किए जा रहे है ।

इस स्कीम के अन्तर्गत कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 5.5205 करोड़ रुपये निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रदत्त किए गए -

अ) रु.5.268 करोड़ - प्लांट प्रभावित गावों में सी.सी. व बी.टी. लिंक रोड, स्कूलों में लड़को एवं लड़कियों हेतु अलग-अलग टॉयलेट तथा खेल संकुल, झालावाड़ में दो टेनिस कोर्ट (बिजली एवं बैठक व्यवस्था

सहित) तथा एक खो-खो कोर्ट निर्माण तथा तीन निवर्तमान बैडमिंटन कोर्ट के नवीनीकरण (सिंथेटिक लोर्सिंग एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था हेतु) ।

ब) रू.10.00 लाख प्रतिवर्ष - माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान की स्वप्निल परियोजना "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" हेतु जिसके माध्यम से पिछले तीन सालों से झालावाड़ जिले के विद्यार्थी ई-लर्निंग व स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

स) रू.5.00 लाख - जिला मुख्यालय पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता "उमंग 2017" हेतु ।

द) रू.10.25 लाख - महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण हेतु ग्राम चंद्रलाई में सेनेटरी नेपकिन उत्पादन व उत्पादन प्रशिक्षण हेतु ।

इ) कालीसिन्ध आवासीय परिसर स्थित स्कूल (डी.ए.वी. संस्था द्वारा संचालित) में आगामी नवीन सत्र में कक्षा 9 का संचालन प्रारम्भ करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिससे आगामी सत्र में कालीसिन्ध परियोजना के अधिकारियों, कर्मचारियों व समीप के गाँवों के बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त सकेगी ।

सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजनायें

(ख) सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण समय के दौरान 33 करोड़ रुपये के कार्य परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के सामुदायिक विकास के लिये किया जाना प्रस्तावित है।

छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छबड़ा (ईकाई 5 व 6)-

छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छबड़ा द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के तहत निम्नलिखित कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है

1. 200 लाख रुपये का मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के द्वितीय चरण हेतु सहयोग।
2. अकादमिक वर्ष 2017-18 के लिए 15 लाख रुपये की लागत से बारां जिले के आई.सी.टी. सुविधायुक्त 105 विद्यालयों में ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु मोडर्नी फाउन्डेशन द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।
3. नगर परिषद, बारां के 25 वार्डों में संरचनात्मक विकास हेतु इन्टरलोक्रींग के विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां को 100 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

4. छबडा एवं छीपाबड़ौद खण्ड में विभिन्न संरचनात्मक विकास कार्यों जैसे कि इन्टरलॉकिंग पेवमेन्ट, शौचालय निर्माण, सडक सुदृढीकरण, सम्पर्क सडक निर्माण, गौरव पथ निर्माण, पुलिया निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, मिसिंग लीक रोड निर्माण इत्यादि के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, छबडा को 400 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।
5. Crop Residue Programme, Pasture Land Development Programme, Community Cattle Shade, Community Park आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास ट्रस्ट, जयपुर को 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

सूरतगढ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना (इकाई-7 व 8)-

सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अन्तर्गत परियोजना निर्माण के समय के दौरान 33 करोड़ रुपये के कार्य परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के सामुदायिक विकास के लिए किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 8.39 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्य सम्पन्न करवाये जा चुके हैं।

निगम के विद्युत उत्पादन गृहों के परिचालन एवं दक्षता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्य

1. राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत उत्पादन गृहों के परिचालन एवं दक्षता में सुधार लाने के लिए निगम प्रबन्धन द्वारा विद्युत संयंत्रों का दौरा कर निगम के युवा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
2. निगम के सभी विद्युतगृहों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यरत अभियंताओं, केमिस्टों और निगम के अन्य कर्मचारियों को सम्बंधित तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरम्भ किया गया जिसमें विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के द्वारा निगम के विद्युतगृहों एवं परियोजना स्थल पर भारत सरकार के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे मैसर्स NPTI-बदरपुर, मैसर्स CBIP-नई दिल्ली, मैसर्स BHEL-त्रिचि और मैसर्स NTPC & PMI, नोएडा के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3. उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगम के विद्युतगृहों पर जुलाई-2017 से दिसम्बर-2017 के बीच लगभग 26 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें निगम के सभी विद्युतगृहों के अलग-अलग शाखाओं के लगभग 1100 इंजीनियरों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार जारी हैं तथा माह जनवरी-2018 से मार्च-2018 की अवधि के दौरान लगभग 18 ओर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे, जिसमें निगम के सभी विद्युतगृहों के अलग-अलग शाखाओं के लगभग 600 अभियंताओं द्वारा भाग लिया जाएगा।

- 4 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वैधानिक आवश्यकतानुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति विनियम से संबंधित उपायरू 2010), बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नियुक्त हर अभियंता और तकनीशियन को प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है ताकि उन्हें बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास के लिए विद्युत संयंत्रों के संचालन और रखरखाव की गतिविधियां से परिचित कराया जा सकें। इसी क्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की उपर्युक्त वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए निगम में नव नियुक्त 360 प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियंताओं को कम से कम 12 सप्ताह / 03 महीने का प्रशिक्षण दिलाने के लिए भारत सरकार की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं मैसर्स NPTI-बदरपुर, मैसर्स CBIP-नई दिल्ली, मैसर्स APTPI & Mundra और मैसर्स NTPC&PMI, नोएडा के माध्यम से जनवरी-2018 से प्रशिक्षण कार्यक्रम दिलवाना निर्धारित किया गया है।
- 5 उत्पादन निगम द्वारा दिनांक 18.09.2017 को एक नॉलेज शेयरिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उपरोक्त पोर्टल पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, Technical Papers-Magazines में प्रकाशित होने वाले नए नवाचारों इत्यादि के बारे में सम्बंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका सदुपयोग निगम में कार्यरत सभी अभियंताओं / कर्मचारियों के द्वारा किया जा सकेगा।

विद्युत उत्पादन निगम को आंवटित कोल ब्लॉक:-

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2007 में परसा ईस्ट एवम् कांटे बासन कोल ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है का आंवटन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को किया था, इस ब्लॉक की कुल खनन क्षमता को विद्युत उत्पादन निगम के निवेदन पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2013 को 10 MTPA से बढ़ाकर 15 MTPA करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोल का खनन फरवरी 2013 से प्रारम्भ हो चुका है।


माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 24.09.2014 को, वर्ष 1993 से 2011 के दौरान आंवटित 218 में से 214 कोयला ब्लॉक रद्द कर दिये गये थे जिसमें उत्पादन निगम को आंवटित उक्त परसा ईस्ट एवम् कांटे बासन कोयला ब्लॉक भी शामिल था। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियों को अलोटमेंट प्रक्रिया के तहत विद्युत उत्पादन निगम को उक्त कोल ब्लॉक पुनः आंवटित किया गया है। उक्त प्रक्रिया के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित परसा कोयला ब्लॉक भी उत्पादन निगम को आंवटित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 200 मिलियन टन के एक कोल ब्लॉक कांटे एक्सटेंशन का आवंटन दिनांक 31.03.15 को जारी आवंटन पत्र के द्वारा उत्पादन निगम को किया गया है।


परसा ईस्ट एवम् कांटे बासन कोल ब्लॉक से कोयला खनन फरवरी 2013 से प्रारम्भ हो चुका है तथा उत्पादन निगम के विद्युत् उत्पादन गृहों को निरंतर आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2015-16 में 6.2 मिलियन टन कोल का खनन किया गया है तथा वर्ष 2016-17 में 8.0 मिलियन टन कोल का खनन किया जाना संभावित है।

पारसा कोल ब्लॉक को विकसित करने के लिए विभिन्न आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है तथा माइनिंग लीज, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति तथा फारेस्ट क्लीयरेंस हेतु आवेदन भारत सरकार/ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संबंधित विभागों में किया जा चुका है। इस कोल ब्लॉक को विकसित कर वर्ष 2019-20 तक कोयला उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

कांटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को विकसित करने के लिए भी प्रारंभिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है तथा वर्ष 2019-20 तक कोयला उत्पादन प्रारंभ कर दिया जावेगा।



विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड संगठनात्मक मानचित्र (Organization Chart)




विद्युत उत्पादन निगम जनशक्ति

कर्मचारी संख्या (31.12.2017)

कर्मचारी	कर्मचारी संख्या
नियमित:	
1. तकनीकी :	
(क) अधिकारी (सहायक अभियंता एवं उच्च)	1321
(ख) कनिष्ठ अभियंता एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ	852
(ग) अधीनस्थ (ऑपरेटर्स, तकनीशियन आदि)	1508
योग-1	3681
2. गैर तकनीकी :	
(क) अधिकारी	75
(ख) मंत्रालयिक	316
(ग) चतुर्थ श्रेणी	108
योग-2	499
योग (1+2)	4180

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)



प्रगति प्रतिवेदन

2017-2018

(31 दिसम्बर, 2017 तक)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

निदेशक मण्डल

श्री एन.के. कोठारी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री संजय मल्होत्रा, IAS	निदेशक
श्री प्रवीण गुप्ता, IAS	निदेशक
सुश्री आरती डोगरा, IAS	निदेशक
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	स्वतंत्र निदेशक
श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक
डॉ मुरारी लाल गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री श्याम स्वरूप मीणा	निदेशक (तकनीकी)
श्री प्रहलाद सहाय आर्य	निदेशक (परियोजना)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निदेशक मण्डल	
1.	विद्युत उत्पादन निगम का कार्यक्षेत्र	1
2.	विद्युत उत्पादन निगम की वित्तीय स्थिति	2
3.	विद्युत उत्पादन निगम का लाभ/हानि का विवरण	4
4.	स्रोतवार विद्युत उत्पादन एवम् प्रेषण	8
5.	विद्युत उत्पादन निगम के कार्यरत संयंत्रों का कार्य निष्पादन	9
6.	विद्युत उत्पादन निगम की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें	18
7.	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य	20
8.	निगम के विद्युत उत्पादन गृहों के परिचालन एवं दक्षता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्य	22
9.	विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक	23
10.	विद्युत उत्पादन निगम का संगठनात्मक मानचित्र	25
11.	विद्युत उत्पादन निगम की जनशक्ति	26